

44, 45, 46
48, 49

Acns

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार

आयालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौहटन
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प रा.01/32

:-आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भू.अ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदास् चौहटन नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील चौहटन जिला वा.प्र. की समावन्दी सम्वत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को दैनिक लिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
①	विशानपुरा	5	ऊक सिंह पुत्र हवसिंह	उगम सिंह पुत्र हवसिंह
②	विशानपुरा	5	उममेव सिंह पुत्र हवसिंह	अनोप सिंह पुत्र हवसिंह
③	डीजर राजपुरा	81	मंगल सिंह पुत्र भाधु सिंह	मंगल सिंह पुत्र भाधु सिंह
④	राणीयार, मण्ड विशानपुरा	15, 18, 08	इन्द्रा पुत्र उत्तमा	विशान सिंह पुत्र उत्तम सिंह
⑤	राणीयार, मण्ड विशानपुरा	15, 18, 08	इन्द्रा पुत्र उत्तमा	इन्द्रा सिंह पुत्र उत्तम सिंह



(Signature)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
चौहटन

दिनांक :-

कमाक :-

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(Signature)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन